संख्या– /VI–I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 7 मार्च, 2006

विषयः– उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, उत्तरांचल द्वारा दिनांक–8 मार्च 2006 को देहरादून में आयोजित वृद्ध साहित्यकार/लोक कलाकर के सम्मान समारोह के आयोजन हेतु अग्रिम आहरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1544/सं0नि0उ0/दो–03/2005–06 दिनांक– 6 मार्च, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 लाख में से अवशेष धनराशि रूपये 620950.00 के सापेक्ष उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु रूपये 598525.00 (रूपये पांच लाख अट्ठानवें हजार पांच सौ पच्चीस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस वित्तीय स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आयोजन पर होने वाले नितांत आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) कोषागार से अग्रिम आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4. बजट मैनुअल/वित्त हस्तपुस्तिका एवं स्टोर परचेज रूल्स/डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरें अथवा टेण्डर/कोटशन विषयक नियमों के सम्बंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उपरोक्त अग्रिम आहरित धनराशि का नियमानुसार समायोजन दिनांक– 31–3–2006 तक कर लिया जाय एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी मद अथवा बीजक का दोहरा भुगतान न हो।

6. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

7. विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने तथा गत वर्ष स्वीकृत अग्रिम के समायोजन के बाद ही इस धनराशि का आहरण किया जाय।

8 उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति–आयोजनागत–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना–20–सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

9. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1177/वित्त (व्यय–नियत्रंण) अनु0–3/2006 दिनांक–7 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या– 15 /VI-1/ 2006, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल। सचिवालय परिसर।
8. आयुक्त कुमायु/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्त
अपर सचिव